बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

सरकार द्वारा निर्धारित नया संशोधित साहाय्य मानदर

माह- अप्रैल 2012

दूरभाष संख्या – 0612-2215600
राज्य नियंत्रण कक्ष : 0612-2217305 (टेली फैक्स)
Fax : 0612-2217786
Website : http://disastermgmt.bih.nic.in/
Email : secy-disastermgmt-bih@nic.in

दो शब्द

राज्य अन्तर्गत नागरिकों को सामान्यतः प्रत्येक वर्ष बाढ़, सूखाड़, अग्निकांड, चक्रवात आदि प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलना पड़ता है। माननीय मुख्य मंत्री श्री नीतीश कुमार के कुशल एवं सफल नेतृत्व में इन आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को साहाय्य मुहैया कराने हेतु राज्य सरकार कृत संकल्पित है। आपदा प्रबंधन विभाग यह महसूस कर रहा है, कि सरकार द्वारा निर्धारित विभिन्न साहाय्य मानदर की जानकारी राज्य के जन–जन तक पहुँचाना है।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय (आपदा प्रबंधन डिवीजन 1) के पत्रांक 32–7/2011/एन0डी0एम0–1 दिनांक–16.01.2012 द्वारा राज्य आपदा रिस्पौन्स कोष (एस0डी0आर0एफ0) तथा नेशनल डिजास्टर रिस्पौन्स फंड (एन0डी0आर0एफ0) से वर्ष 2010–15 तक प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों / परिवारों के बीच सहाय्य वितरण हेतु मदों की सूची तथा संशोधित नया मानदर निर्धारित किया गया है। राज्य कार्यकारिणी समिति की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण विचारोपरान्त भारत सरकार, द्वारा निर्धारित उक्त संशोधित सहाय्य मानदर को दिनांक– 01.04.2012 से राज्य में लागू करने का निर्णय लिया गया है। यह मानदर दिनांक–01.04.2012 तथा उसके उपरांत घटित प्राकृतिक आपदाओं के लिए लागू होगा।

संशोधित नये मानदर के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न एवं नगद राशि उपलब्ध कराने संबंधित सरलीकृत दिशानिर्देश, अग्निकांड में राहत उपलब्ध कराने सम्बन्धित दिशा निर्देश एवं बाढ़ पूर्व तैयारी 2012 से संबंधित निर्देश को संकलित कर प्रस्तुत किया जा रहा है। आशा है कि राज्य की समस्त जनता को इस पुस्तिका के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल सकेगी।

(डॉ. रेणु कुमारी कुशवाहा)
मंत्री
आपदा प्रबंधन विभाग
बिहार सरकार